

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, April 30, 2012

No. F. 4(7) Vidhi/2/2012.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Kota Vishwavidhyalaya (Amendment) Adhyadesh, 2012 (2012 Ka Adhyadesh Sankhyank 3) promulgated by him on the 30<sup>th</sup> day of April, 2012:-

(Authorised English Translation)

THE UNIVERSITY OF KOTA (AMENDMENT) ORDINANCE,  
2012

(Ordinance No. 3 of 2012)

(Made and promulgated by the Governor on the 30<sup>th</sup> day of April, 2012)

*An  
Ordinance*

*to amend the University of Kota Act, 2003.*


Whereas, the Rajasthan State Legislative Assembly is not in session and the Governor of the State of Rajasthan is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor hereby promulgates in the Sixty-third Year of the Republic of India, the following Ordinance, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) This Ordinance may be called the University of Kota (Amendment) Ordinance, 2012.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 11, Rajasthan Act No. 14 of 2003.- In sub-section (2) of section 11 of the University of Kota Act, 2003 (Act No. 14 of 2003), for the existing expression "sixty-two years", the expression "sixty-five years" shall be substituted.

  
Governor of Rajasthan.  
30/4/2012  
(Prakash Gupta)

Principal Secretary to the Government

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(मुप-2)

अधिसूचना

जयपुर , अप्रैल 30 , 2012

संख्या प. 4(7) विधि/2/2012.- राजस्थान राज्य के राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया निम्नांकित अध्यादेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012

(2012 का अध्यादेश संख्यांक 3)

(राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को बनाया तथा प्रख्यापित किया गया)

कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 को संशोधित करने के लिए अध्यादेश।


यतः राजस्थान राज्य विधान-सभा सत्र में नहीं है और राजस्थान राज्य के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;


अतः अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अध्यादेश का नाम कोटा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 है।


(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2003 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 11 का संशोधन.- कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं.14) की धारा 11 की उप-धारा (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "बासठ वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पैंसठ वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

  
30/4/2012  
राज्यपाल, राजस्थान।

  
20/4/12  
(प्रकाश गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव।



राजस्थान—राजपत्र

RAJBIL/2003/1717  
J.P.C./3588/02/2003-05

विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

ज्येष्ठ 17, शनिवार, शाके 1925—जून 7, 2003  
Jyaishta 17, Saturday, Saka 1925-June 7, 2003

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम  
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग  
(ग्रुप-2)  
अधिसूचना

जयपुर, जून 7, 2003

संख्या प.2(12)विधि/2/2003:—राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मई, 2003 को प्राप्त हुई, एतद्वारा संदर्भसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003

(2003 का अधिनियम संख्यांक 14)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 मई, 2003 को प्राप्त हुई।

राजस्थान राज्य में कोटा में विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :- (1) इस अधिनियम का नाम कोटा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं:- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की धारा 21 के अधीन यथा-गठित विद्या परिषद् अभिप्रेत है:

- (ख) "संबद्ध महाविद्यालय" से ऐसी शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;
- (ग) "स्वायत्त महाविद्यालय" से ऐसी शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस रूप में घोषित किया जाये;
- (घ) "बोर्ड" से विश्वविद्यालय का धारा 19 के अधीन गठित प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ङ) "घटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;
- (च) "संकाय" से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;
- (छ) "विहित" से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ज) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस रूप में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) "परिनियम", "आर्डिनेन्स" और "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये कंश विश्वविद्यालय के परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत है;
- (ञ) "विश्वविद्यालय का छात्र" से सम्यक रूप से सारिथत किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ट) "अध्यापक" से शिक्षा देने या अनुसंधान संचालित और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इरामें ऐसा व्यक्ति भी सामिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;
- (ठ) "विश्वविद्यालय" से कोटा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (ड) "विश्वविद्यालय विभाग" से विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाने वाला कोई विभाग अभिप्रेत है ।

3. विश्वविद्यालय का निगमन:- (1) कुलाधिपति, प्रथम कुलपाते, विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, "कोटा विश्वविद्यालय" के नाम से

एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होंगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

(2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दानों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए राक्षम होगा :

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय या अंतरण राज्य सरकार के पूर्व-अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा ।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय कोटा में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा ।

4. अधिकारिता.— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी किन्तु राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1946, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39), राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम सं. 10), महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम सं. 8) और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित, राजस्थान राज्य के कोटा खण्ड के भीतर के रामरत घटक, संबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थानों, संस्थाओं और विभागों में और राजस्थान राज्य के भीतर के ऐसे अन्य घटक, संबद्ध या स्वायत्त महाविद्यालयों, संस्थानों, संस्थाओं और विभागों में भी होगा जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किये जायें ।

(2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा ,—

(क) विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से अपनी संबद्धता या अपने विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

- (ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्थायित्व होना या उस किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझ जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की भूमि, भवन, प्रयोगशालाएं, उपस्कर, पुस्तकें और कोई भी अन्य सम्पत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी समझे जायेंगे।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.-विश्वविद्यालय, अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए स्थापित और निगमित किया हुआ समझा जायेगा :-

- (i) विद्या की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करना; और
- (ii) विद्या की समस्त शाखाओं में अनुसंधान को अग्रसर करना।

6. विश्वविद्यालय में प्रवेश.-विश्वविद्यालय, इस अधिनियम और परिनिष्पत्तियों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, समस्त व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा किन्तु इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय से, किसी भी पाठ्यक्रम में, विहित से अधिक संख्या में या विहित से कम शैक्षणिक या अन्य अर्हताओं वाले छात्रों को प्रवेश देने की अपेक्षा की गयी है।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियां.-विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

- (क) विद्या की ऐसी विभिन्न शाखाओं में, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, शिक्षा देने की व्यवस्था करना;
- (ख) (1) अनुसंधान, और (2) ज्ञान के अमिवर्धन और अनुसंधान और ज्ञान के निष्कर्षों के प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

- (ग) उपाधियां, डिप्लोमें और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां, संस्थित और प्रदान करना;
- (घ) सम्मानिक उपाधियां या अन्य उपाधियां प्रदान करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाये जाने वाले महाविद्यालयों, संस्थाओं और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और इन समस्त या किन्हीं भी विशेषाधिकारों को वापस लेना;
- (च) किसी महाविद्यालय, संस्था या यथास्थिति, विभाग को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम में अधिकृत की जाये या जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना और स्वायत्तता वापस लेना;
- (छ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजन के लिए सहयोग करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, अनुसंधान और अन्य पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्ति करना;
- (झ) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (ञ) अध्येतावृत्तियां (जिनमें यात्रा अध्येतावृत्तियां भी सम्मिलित हैं), छात्रवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास-स्थान की व्यवस्था करना और उसे संधारित करना;
- (ठ) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और प्राप्त करना जो विहित किये जायें;
- (ड) छात्रों के लिए निवास-स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन का वेनियमन करना और उनके स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए प्रबंध करना; और

- भाग 4 (क) राजस्थान राज 'पत्र, जून 7, 2003 41 (5)
- (ग) उपाधिया, डिप्लोमे और अन्य विद्या सबधी उपाधिया संस्थित और प्रदान करना;
- (घ) साम्मानिक उपाधिया या अन्य उपाधिया प्रदान करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय द्वारा नही चलाये जाने वाले महाविद्यालयों, संस्थाओं और संस्थानों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और इन समस्त या किन्ही भी विशेषाधिकारों को वापस लेना;
- (च) किसी महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम में अधिकथित की जायें या जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना और स्वायत्तता वापस लेना;
- (छ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों के साथ, ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजन के लिए सहयोग करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन, अनुसंधान और अन्य पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्ति करना;
- (झ) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- (ञ) अध्येतावृत्तियां (जिनमें यात्रा अध्येतावृत्तियां भी सम्मिलित हैं), छात्रवृत्तियां और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना;
- (ट) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास-स्थान की व्यवस्था करना और उसे संधारित करना;
- (ठ) ऐसी फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और प्राप्त करना, जो विहित किये जायें;
- (ड) छात्रों के लिए निवास-स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन का विनियमन करना और उनके स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि करने के लिए प्रबंध करना; और



- (ड) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना चाहें वं पूर्वोक्त शक्तियों की आनुषंगिक हों या नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों ।

8 निरीक्षण .- (1) राज्य सरकार, ऐसे व्ययित या व्ययित्यों से, जैसा वह निदेशित करे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं और उपकरणों का और विश्वविद्यालय द्वारा चलायी जाने वाली किसी भी सस्था का निरीक्षण करवा सकेगी और विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त सम्बन्धी किसी भी अन्य मामले के संबंध में ऐसी ही रीति से जांच करवा सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय को निरीक्षण या जांच करने के अपने आशय को नोटिस देगी और विश्वविद्यालय को प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुने जाने का अधिकार होगा ।

(3) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणाम के प्रति निर्देश से बोर्ड को पत्र लिख सकेगी और विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में ऐसी सलाह दे सकेगी जो वह देना चाहे ।

(4) बोर्ड, राज्य सरकार को ऐसी कार्रवाई की संसूचना देगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या उसने की है ।

(5) यदि बोर्ड, उचित समय के भीतर-भीतर, राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता है तो राज्य सरकार, बोर्ड द्वारा दिये गये किसी भी स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति के अनुमोदन से, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(6) ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप निरीक्षण की और राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों की रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखी जायेगी ।

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी - विश्वविद्यालय के अधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् .-

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारी :-

- (i) कुलाधिपति;
- (ii) कुलपति;
- (iii) कुल-सचिव;
- (iv) निदेशक;
- (v) सपदा अधिकारी;
- (vi) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- (vii) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (viii) विश्वविद्यालय की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जायें:

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी:-

- (i) प्रबंध बोर्ड;
- (ii) विद्या परिषद्;
- (iii) संकाय ;
- (iv) अध्ययन बोर्ड; और
- (v) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जायें ।

10. कुलाधिपति :- (1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा । वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा और उपरिथत रहने पर, उसके दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा ।

(2) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदत्त की जायें ।

11 कुलपति .- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की सलाह से, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायेगा -

- (i) बॉर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या उससे किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;
- (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति ;
- (iii) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक शिक्षाविद् ;
- (iv) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति ;

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा ।

(2) कुलपति की पदावधि ऐसी तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी ।

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(3) कुलपति, राज्य सरकार द्वारा यथा-अवधारित वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा । इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा सधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जाये ।

(4) जब कुलपति के पद की उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण कोई स्थायी रिक्ति हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा(1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा(5) के अधीन और अनुसार अस्थायी व्यवस्था की जायेगी ।

(5) जब कुलपति के पद की छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा कोई अस्थायी रिक्ति हो जाये, या जब कोई अस्थायी व्यवस्था उप-धारा(4) के अधीन आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति

को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहण के लिए व्यवस्था करेगा।

(6) उप-धारा(1) से उप-धारा(5) में अतिविष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार की सलाह से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो सरकार अवधारित करे।

(7) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसका वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिन पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(8) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

12. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार-विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनमेंसों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) किसी आपात स्थिति में, जिसमें कुलपति की राय में तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य नियुक्त करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलपति द्वारा उप-धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उराके लिए अलामकारी प्रभाव पड़ता है वहां ऐसा व्यक्ति, एसी तारीख से, जिसको उससे की गयी कार्रवाई से ससूचित किया जाये, तीस दिन के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा ।

(8) पूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति सबकी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा ।

(9) कुलपति, अध्यापन, अनुसन्धान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियां का प्रयोग करेगा जो विहित की जायें ।

13. कुल-सचिव.- (1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा । वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा ।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त, किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल-सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य की सेवाओं में के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(3) कुल-सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा । वह उसके समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखेगा जिनके उसका कार्य करने के लिए आवश्यक हो । वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगा और समस्त पाठ्यविषयों, पाठ्यक्रमों और ऐसी अन्य सूचनाओं का स्थायी अभिलेख रखेगा जो आवश्यक समझी जाये ।

(4) कुल-सचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें या जिनकी उरासे अपेक्षा की जाये ।

14. नियंत्रक.- (1) नियंत्रक, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा अधिकारी होगा । वह कुलपति के नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा ।

(2) इस अधिनियम या तत्सम्य प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, नियंत्रक राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) नियंत्रक-

- (i) विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा और उसका बजट तैयार किये जाने और उसे कुलपति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ii) विश्वविद्यालय की जंगम और स्थावर सम्पत्तियों, और विनिधानों का प्रबंध करेगा;
- (iii) विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिए अग्रदाय नकद (जो कुलपति द्वारा विहित किया जायेगा) के रूप में आवश्यक रकम के सिवाय, विश्वविद्यालय की समस्त धनराशियों को किसी अनुरूचित बैंक में या राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में रखेगा;
- (iv) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा, विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो;
- (v) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के नियमों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है; और
- (vi) धारा 34 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

15. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.- (1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :-

- (i) सम्पदा अधिकारी, और
- (ii) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा ।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

- (क) छात्रों के आवासन का प्रबंध करना,
- (ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना,
- (ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुरार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना
- (घ) छात्रों के पाठ्येतर कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करना,
- (ङ) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना, और
- (च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना ।

16. संकायों के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य .- (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा ।

(2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जो विहित की जायें ।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

17. अन्य अधिकारी और कर्मचारी .- धारा 9 के खण्ड(क) में वर्णित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

18. अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक.- विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए, परिनियमों में जैसा उपबंधित है उरान्के सिवाय, कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा ।

अन्य ५ (क) राजस्थान राज-विश्व-विद्यालय, राजस्थान

१७. प्रत्येक वर्ष के लिए, राजस्थान विश्व-विद्यालय के अध्यक्ष, कुल-पति, उच्चतर शिक्षा विभाग, राजस्थान के उच्चतर शिक्षा विभाग के अध्यक्ष और राजस्थान विश्व-विद्यालय के अध्यक्ष के नामों पर उल्लिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

- (I) विश्वविद्यालय का कुलपति-अध्यक्ष के रूप में ;
- (II) पदेन सदस्य:
  - (i) शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान ;
  - (ii) शासन सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, राजस्थान ;
  - (iii) निर्देशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान ; और
  - (iv) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, रादस्य-सचिव ;

स्पष्टीकरण .- (i) से (ii) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिनी भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे ।

- (III) नामनिर्देशित सदस्य :
  - (i) कुलपति द्वारा संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति;
  - (ii) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;
  - (iii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;
  - (iv) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, संबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा ;



(v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान-मण्डल के दो सदस्य ; और

(vi) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद् ;

(iv) निर्वाचित सदस्य .—

विश्वविद्यालय और उसके घटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने में से तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाने वाले, विश्वविद्यालय आचार्यों, संकायाध्यक्षों, विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के निदेशकों से भिन्न, विश्वविद्यालय या उसके घटक महाविद्यालयों के दो अध्यापक जिन्हें जिस वर्ष में निर्वाचन करवाये जाते हैं उससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की एक जनवरी को राजस्थान में उच्चतर शिक्षा की किसी भी संस्था में अध्यापन का सात वर्ष से अन्यून अनुभव हो ।

(2) बोर्ड की बैठक में, उपस्थित एक तिहाई सदस्यों से बैठक के लिए गणपूर्ति होगी ।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो विहित की जायें ।

(4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो विहित किये जायें ।

(5) बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्य-राचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा ।

20. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य .— बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित और मंजूर करना ;

(ख) विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों को अर्जित करना, व्यवहित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निदेश जारी करना ;

- (ग) किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति के अन्तरण को विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकार करना ;
- (घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का प्रबंध करना ;
- (ङ) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना ;
- (च) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों को ऐसी शैति से नियुक्त करना, जो विहित की जाये ;
- (छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और प्रयोग का निदेश देना ;
- (ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह अपने उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे ;
- (झ) पूंजीगत उन्नयन के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना ;
- (ञ) ऐसे समय पर और उतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी ;
- (ट) विश्वविद्यालय के सुचारु कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित शैति से परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों का बनाना ; और
- (ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों को इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमित और अवधारित करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहण करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें ।

21. विद्या परिषद् .- (1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) कुलपति - पदेन अध्यक्ष;
- (ख) संकायों के संकायाध्यक्ष;

- (ग) प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य;
- (घ) किसी घटक महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक प्राचार्य/निदेशक;
- (ङ) शासन सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, राजस्थान या उसका नामनिर्देशिनी जो उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो;
- (च) निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान;
- (छ) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- (ज) संबद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;
- (झ) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;
- (ञ) घटक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विभाग से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला आचार्य से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो;
- (ट) संबद्ध महाविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला प्राचार्य से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो; और
- (ठ) विश्वविद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य -सचिव ।
- (2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी ।

22. विद्या परिषद् के कृत्य .- (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों की भारसाधक होगी और इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनिधमों और आर्डिनेन्सों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए, अनुदेश, शिक्षा तथा परीक्षाओं के स्तर बनाये रखने पर और उपाधियां तथा डिप्लोमों

प्रदान करने की अपेक्षाओं पर नियन्त्रण रखेगी और उसके लिए उत्तरदायी होगी ।

(2) विद्या परिषद् ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें और समस्त शैक्षणिक मामलों में कुलपति को परामर्श देगी ।

23. संकायों की संरचना और कृत्य .— (1) विश्वविद्यालय में ऐसे संकाय होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :—

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष — अध्यक्ष ,

(ख) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य

(ग) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष

(घ) संबद्ध महाविद्यालयों से संकाय के प्रत्येक विषय में राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य और एक स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष

(ङ) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ

(3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

24. अध्ययन बोर्ड .— (1) इतने अध्ययन बोर्ड होंगे जितने परिनियमों द्वारा अवधारित किये जायें ।

(2) अध्ययन बोर्ड ऐसी नीति से गठित किया जायेगा, ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जायें ।

25. विश्वविद्यालय का अध्यापन .— (1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या महाविद्यालयों, संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे ।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो विहित किये जायें ।

(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो आर्डिनेन्सों और तदधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किया जाये ।

26. स्वायत्त प्रारिथति का प्रदान किया जाना .- (1) विश्वविद्यालय द्वारा, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्था या किसी विश्वविद्यालय विभाग को छात्रों के प्रवेश, पाठ्यक्रम विहित करने, शिक्षा और प्रशिक्षण देने, परीक्षा करवाने के मामलों में स्वायत्त प्रारिथति और उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक नियम बनाने की शक्तियां प्रदत्त की जा सकेंगी ।

(2) बोर्ड, ऐसे महाविद्यालय, संस्थां या विभाग में शिक्षा के स्तर के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्तियों, जो उपयुक्त समझे जायें, से मिलकर बनी किसी स्थायी समिति से विहित रीति से जांच करवाने का निदेश दे सकेगा ।

(3) उक्त समिति की रिपोर्ट और उस पर विद्या परिषद् की सिफारिश प्राप्त हो जाने पर, बोर्ड, समाधान हो जाने पर, मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार को उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट करेगा ।

(4) विश्वविद्यालय, ऐसी सहमति की प्राप्ति पर, महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग को स्वायत्त प्रारिथति प्रदान करेगा ।

(5) स्वायत्त प्रारिथति, इस प्रयोजन के लिए गठित की जाने वाली विशेषज्ञ समिति के पुनर्विलोकन के अधधीन रहते हुए, प्रारंभिक तौर पर पांच वर्ष के लिए प्रदान की जा सकेगी । समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात् :-

(क) विश्वविद्यालय का एक नामनिर्देशिती ;

(ख) राज्य सरकार का एक नामनिर्देशिती ;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक नामनिर्देशिती ;

(घ) स्वायत्त महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक प्राचार्य, और

(ङ) विश्वविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला कोई अधिकारी ।

(6) समिति, अपनी रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करेगी ।

(7) विश्वविद्यालय ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग पर साधारण पर्यवेक्षण का प्रयोग करना और ऐसे महाविद्यालय, संस्था या विभाग के छात्रों को उपाधि प्रदान करना जारी रखेगा ।

(8) स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग, शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों के समुचित प्रबंध के लिए ऐसी समितियां नियुक्त करेगा जो विहित की जायें ।

(9) प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग ऐसी रिपोर्टें, विवरणियां और अन्य सूचनाएं देंगे जिनकी बोर्ड समय-समय पर अपेक्षा करे।

(10) बोर्ड, प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग का समय-समय पर निरीक्षण करवायेगा ।

27. स्वायत्त प्रास्थिति का वापस लिया जाना .— (1) स्वायत्त प्रास्थिति का प्रदान विश्वविद्यालय द्वारा वापस लिया जा सकेगा यदि महाविद्यालय, संस्था या विभाग उसके प्रदान किये जाने की किन्हीं भी शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहा है या उसकी दक्षता का इतना क्षय हो गया है कि शिक्षा के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश किये जाने के पूर्व बोर्ड एक मास के लिखित नोटिस द्वारा, महाविद्यालय, संस्था या विभाग से यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

(3) नोटिस के प्रत्युत्तर में महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हों, की प्राप्ति पर, बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा ।

(4) राज्य सरकार, ऐसी और जांच, यदि कोई हो, के पश्चात्, जो उचित समझी जाये, मामले पर अपनी राय अभिलिखित करेगी और अपने विनिश्चय से विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और विश्वविद्यालय उस पर ऐसा आदेश करेगा जो वह उचित समझे ।

(5) जहाँ स्वायत्त महाविद्यालय, संस्था या विभाग की दशा ग, धारा 26 के अधीन प्रदत्त स्वायत्त प्रास्थिति उप-धारा (4) के अधीन विद्ये गये आदेश द्वारा वापस ले ली जाती है वहाँ ऐसे महाविद्यालय, संस्था या, यथास्थिति, विभाग की स्वायत्त प्रास्थिति, आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से समाप्त हो जायेगी।

28. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.— (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुईं समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र, नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस प्रकार सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया था और किसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य होगा जितनी अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्त नहीं हुआ होता तो बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, और तत्पश्चात् तब तक, धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित, नियुक्त या निर्वाचित नहीं कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अक्षमता से अन्तर्कलित किसी अपराध या विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी का इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं कर लिया गया हो :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए, निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा ।

29. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना .— विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य, या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होंगी ।

30. सेवानिवृत्ति बनी आयु .— परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निर्देशों या नीति के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे ।

31. पेंशन या भविष्य निधि .— (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे ।

(2) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवाओं में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें ।

32. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी .—(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन)



अधिनियम, 1974 ( 1974 का अधिनियम सं.18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी ।

(2) परिणियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे । संविदा कुलपति के पास रखी जायेगी और उसके एक प्रतिलिपि संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी । सेवा की शर्तों के संबंध में संविदा इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिणियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी ।

33. विश्वविद्यालय निधि .— (1) विश्वविद्यालय 'विश्वविद्यालय निधि' के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबंध करेगा ।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात् :—

- (क) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान ;
- (ख) विश्वविद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है ;
- (ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों ;
- (घ) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिणियमों द्वारा विहित की जायें ।

(3) ऐसे मामले, जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिणियमों द्वारा विहित किये जायें ।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि से की जायेगी ।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी ।

34. राज्य सरकार का नियन्त्रण.—जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलिता हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबन्धनों

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, जून 7, 2003 41 (23)  
 और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित  
 के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात् :-

- (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन ;
- (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति -पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण ;
- (ग) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी अतिरिक्त / विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदा सम्मिलित है, की मंजूरी ;
- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन ;
- (ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण ;
- (च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना ;
- (छ) संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.— पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है ।

35. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.— यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो

वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे ।

36. परिनियम .- इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जायेगा :-

- (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य ;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से सापेक्ष ऐसे समस्त अन्य मामले , जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो ;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की शक्ति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा शर्तें ;
- (घ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की शक्ति और उनकी सेवा शर्तें और अर्हताएं ;
- (ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, उपदान, दीमा और भविष्य निधियों का गठन ;
- (च) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना ;
- (छ) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और समाप्ति ;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाप्ति ;
- (झ) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी ;
- (ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी उपलब्धियां, और उनकी सेवाओं और कार्यकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना ;

(ट) विश्वविद्यालय के कारबार में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्तों, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते भी सम्मिलित हैं ; और

(ठ) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबन्ध किया जा सकेगा या जो विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेंगे ।

37. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे,— (1) परिनियम प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये, संशोधित और निररित किये जा सकेंगे ।

(2) प्रबंध बोर्ड किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा ।

(3) प्रबंध बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे तो, किसी प्रारूप परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा ।

(4) प्रबंध बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे प्रबंध बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा ।

(5) प्रबंध बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दे दी जाये ।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि प्रबन्ध बोर्ड ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा या उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा ।

38. आर्डिनेन्स.— इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें ;
- (ख) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन ;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या अन्य स्थान या निवास-स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले ;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा न चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण ;
- (ङ) ऐसा कोई भी अन्य मामला जिस पर इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन विचार किया जाना अपेक्षित हो ।

39. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे .— (1) प्रबंध बोर्ड इसमें इसके आगे उपबंधित शीते से आर्डिनेन्स बना, संशोधित या निरसित कर सकेगा ।

(2) प्रबंध बोर्ड द्वारा शैक्षणिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाये जायेंगे जब तक कि उनका कोई प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो ।

(3) प्रबंध बोर्ड को उप-धारा (2) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे भागतः या पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका प्रबंध बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद को लौटा सकेगा ।

(4) प्रबंध बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा । कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके

प्रवर्तन को निलंबित करने का प्रबंध बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र, उस पर अपने आक्षेप के बारे में प्रबंध बोर्ड को सूचित करेगा। वह, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

40. विनियम .— (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगा :—

- (क) अपनी बैठकों में अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने ;
- (ख) ऐसे समस्त मामलों के लिए उपबंध करने जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों के द्वारा, उस प्राधिकारी द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और
- (ग) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करने जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीखों का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके वातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

41. छात्रों का निवास-स्थान .— छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी या कुलपति द्वारा अनुमोदित वास-सुविधा में विहित शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, निवास करेंगे।

42. शक्तियों का प्रत्यायोजन .— बोर्ड इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निबंधनों

41 (28) राजस्थान राज-पत्र, जून 7, 2003 भाग 4 (क)  
और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, प्रयोग में लाये जाने  
के लिए परिनिर्णयों द्वारा, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

43. वार्षिक रिपोर्ट .- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति  
के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की  
वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व  
प्रचालित की जायेगी । बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य  
विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को  
भेजी जायेगी ।

44. लेखे और संपरीक्षा .- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे  
और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये  
जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या  
उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संदितरित या संदत्त समस्त रकमों  
की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी ।

(2) ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे संपरीक्षकों द्वारा विहित रीति से  
की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय  
विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा ।

(3) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां,  
संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें  
ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अर्पित  
करेगा ।

45. अस्थायी व्यवस्था .- (1) इस अधिनियम का प्रारंभ होने के  
पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के  
प्राधिकारियों का समूह रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी  
भी अधिकारी को, ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के  
लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा  
सकेगा ।

(2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात्  
होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते  
हुए, कर सकेगा ।

46. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के  
प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया

जाना .— जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अरिहतत्पहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

47. संपत्तियों और जनशक्ति का अन्तरण .— तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुलाधिपति इस अधिनियम के उपबंध को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार की सलाह से, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो आदेशों में विनिर्दिष्ट की जायें, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के अन्तरण के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो आवश्यक समझे जायें .—

- (क) किसी भी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी या सेवक,
- (ख) इस विश्वविद्यालय की अधिकारिता वाले क्षेत्र में स्थित किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी भी अधिकार या हित,
- (ग) प्राप्त, प्रोदभूत या वचनबद्ध किसी भी निधि, अनुदान, अंशदान, दान, सहायता या हिताधिकार ।

48. अंतःकालीन उपबंध .— (1) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 38 ) के अधीन बनाये गये समस्त परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये हुए समझे जायेंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों, आर्डिनेन्सों या परिनियमों द्वारा अतिष्ठित या उपांतरित नहीं कर दिया जाता है ।

(2) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 38 ) के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये या जारी किये गये समस्त नोटिस और आदेश, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हों, इस अधिनियम के अधीन तत्समान प्राधिकारी द्वारा बनाये हुए या जारी किये हुए समझे जायेंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे



जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन अतिष्ठित या उपांतरित नहीं कर दिया जाता है ।

49. अवशिष्ट उपबंध .- बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है । ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह किसी भी न्यायालय या अधिकरण में आक्षेपणीय नहीं होगा ।

50. कठिनाइयों का निराकरण .- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा -

- (क) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा; या
- (ख) ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों ;
- (ग) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे :

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उरा सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं , या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान- मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी आदेशों में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई

भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, जून 7, 2003 41 (31)  
आदेश नहीं किये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या वातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिणियों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में कि आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है या होने का हकदार है, कोई भी प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा और यदि कुलपति और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो, निर्देशित किया जायेगा। कुलाधिपति, राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

जी.एस. होरा,  
शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(Group-II)**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, June 7, 2003**

No. F. 2(12)Vidhi-2/2003.-In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Kota Vishwavidhyalaya Adhiniyam, 2003 (Adhiniyam Sankhyank 14 of 2003):-

(Authorised English Translation)

**THE UNIVERSITY OF KOTA ACT, 2003**

(Act No. 14 of 2003)

[Received the assent of the Governor on the 30<sup>th</sup> day of May, 2003]

An

Act

to establish and incorporate a University at Kota in the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the fifty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the University of Kota Act, 2003.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions. - In this Act, unless the subject or context requires otherwise.-

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University as constituted under section 21;
- (b) "affiliated college" means an educational institution admitted to the privileges of the University;
- (c) "autonomous college" means an educational institution declared as such under the provisions of this Act;
- (d) "Board" means the Board of Management of the University constituted under section 19;
- (e) "constituent college" means a college maintained by the University;
- (f) "Faculty" means a Faculty of the University;
- (g) "prescribed" means prescribed by the Statutes ;
- (h) "Principal" means the Chief Executive Officer of a college or any person duly appointed to act as such;
- (i) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulations of the University made under this Act;
- (j) "student of the University" means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted;
- (k) "teacher" means a person appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research and includes a person who may be declared by the Statutes to be a teacher;

(l) "University" means the University of Kota.

(m) "University Department" means a Department maintained by the University.

3. Incorporation of the University.- (1) The Chancellor or the first Vice-Chancellor, the first members of the Board of Management and the Academic Council of the University and all persons who may hereafter become such officers or members so long as they continue to hold such office or membership shall constitute a body corporate by the name of "The University of Kota," and shall have perpetual succession and a common seal and may by that name sue and be sued.

(2) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property, which may vest in or be acquired by it for the purposes of the University, and to contract and do all other things necessary for the purposes of this Act;

Provided that no such lease, sale or transfer of such property shall be made without the prior approval of the State Government,

(3) The Headquarters of the University shall be at Kota which shall be the headquarters of the Vice-Chancellor.

4. Jurisdiction.- (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force but subject to the provisions of the University of Rajasthan Act, 1946, the Rajasthan Agriculture University Bikaner Act, 1987 (Act No. 39 of 1987), the Rajasthan Sanskrit University Act, 1998 (Act No. 10 of 1998), the Maharana Pratap University of Agriculture and Technology Udaipur Act, 2000 (Act No. 8 of 2000) and the Rajasthan Ayurved University Act, 2002 (Act No. 15 of 2002) the jurisdiction of the University shall extend to all the constituent, affiliated or autonomous colleges, institutes, institutions and departments within the Kota Division of the State of Rajasthan as notified by the State Government under the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) and also to such other constituent, affiliated or autonomous colleges, institutes, institutions and departments within the State of Rajasthan as may

be specified by notification in the Official Gazette by the State Government .

(2) The State Government may, by order in writing

- (a) require any institute, institution or college within the territorial limits of the University to terminate, with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other University incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper, or
- (b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute, institution or college specified in the order which, in the opinion of the State Government, is required to be self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other University or body.

(3) The State Government may, in consultation with the University, by notification published in the Official Gazette, enumerate any Government college situated in the jurisdiction of the University to be a constituent College of the University . The land, buildings, laboratories, equipments, books and any other properties of such college shall then vest in the University and the officers, teachers and employees of such college, after being found suitable through screening and on fulfilling such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers or, as the case may be, employees of the University .

5. Objects of the University.-The University shall be deemed to have been established and incorporated for the purpose, among others, of-

- (i) making provision for imparting education in different branches of learning ; and
- (ii) furthering the prosecution of research in all branches of learning.

6. **University Admission.**-The University shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations be open to all persons but nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study students larger in number than, or with academic or other qualifications lower than, those prescribed.

7. **Powers of the University.**-The University shall have the following powers, namely:-

- (a) to provide for instruction in various branches of learning as the University may deem fit;
- (b) to make provision for (1) research, and (2) advancement of knowledge and dissemination of the findings of research and knowledge;
- (c) to institute and confer degrees, diplomas and other academic distinctions ;
- (d) to confer honorary degrees or other distinctions ;
- (e) to admit colleges, institutions and institutes not maintained by the University, to the privileges of the University, and to withdraw all or any of these privileges;
- (f) to confer autonomous status on a college, institution or department, as the case may be, subject to such conditions as may be laid down in this Act or as may be prescribed by the Statutes and to withdraw the autonomy;
- (g) to co-operate with other University and authorities in such manner and for such purpose as the University may determine; .
- (h) to institute teaching, research and other posts required by the University and to make appointment thereto;
- (i) to create administrative, ministerial and other necessary posts and make appointments thereto;

41 (36) राजस्थान राज-पत्र, जून 7, 2003 भाग 4 (क)

- (j) to institute and award fellowships (including travelling fellowships), scholarships and prizes ;
- (k) to institute and maintain residential accommodation for the students of the University;
- (l) to demand and receive such fees and other charges as may be prescribed;
- (m) to supervise and control the residential accommodation for students and to regulate the discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and welfare; and
- (n) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be requisite in order to further the objects of the University.

**8. Visitation.-** (1) The State Government may cause an inspection to be made by such person or persons, as it may direct, of the University, its buildings, laboratories and equipments, and of any institution maintained by the University and to cause an enquiry to be made in like manner in respect of any other matter connected with the administration and finances of the University.

(2) The State Government shall, in every case, give to the University notice of its intention to inspect or make an enquiry and the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or enquiry.

(3) The State Government may address the Board with reference to the result of such inspection and enquiry and tender such advice as the State Government may offer regarding the action to be taken by the University.

(4) The Board shall communicate to the State Government such action as it proposes to take or has taken as a result of such inspection or enquiry.

(5) If the Board does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government, it may, after

considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue with approval of the Chancellor such directions as it may deem fit and the Board shall be bound to comply with such directions.

(6) The report of the inspection and of the directions issued by the State Government as a result of such inspection shall be laid on the table of the house of the State Legislature.

9. Officers and Authorities of the University.-The following shall be the officers and authorities of the University, namely:-

(a) Officers of the University :-

- (i) the Chancellor.
- (ii) the Vice-Chancellor.
- (iii) the Registrar.
- (iv) the Comptroller
- (v) the Estate Officer.
- (vi) the Dean of Student Welfare.
- (vii) the Deans of Faculties; and
- (viii) such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

(b) Authorities of the University :-

- (i) The Board of Management,
- (ii) the Academic Council.
- (iii) the Faculties .
- (iv) the Board of Studies , and.
- (v) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

10. Chancellor.- (1) The Governor of the State of Rajasthan shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the head of the University and shall, when present, preside at the convocations thereof.



(2) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes made thereunder.

11. Vice-Chancellor .- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government upon recommendation of a Selection Committee consisting of -

- (i) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
- (ii) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
- (iii) one educationist nominated by the Chancellor;
- (iv) two persons nominated by the State Government;

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(2) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-two years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(3). The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(4) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1) and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section(5).

(5) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (4), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor, who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the functions of the office of the Vice-Chancellor.

(6) , Notwithstanding anything contained in sub-section (1) to sub-section (5), the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor on the advice of the State Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the State Government may determine.

(7) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(8) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

**12. Powers and duties of the Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the convocations of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairman of the Board and Academic Council.

(3) The Vice-Chancellor shall be responsible for presenting to the Board for its deliberations and consideration matters of concern to the University. He shall have power to convene the meetings of the Board and the Academic Council.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline in the University.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act and the Statutes and the Ordinances and shall possess all such powers as may be necessary for the purpose.

(6) In an emergency, which in the opinion of the Vice-Chancellor requires immediate action to be taken he shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

(7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Board within thirty days of the date on which the action is communicated to him.

(8) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(9) The Vice-Chancellor shall be responsible for close coordination and integration of teaching, research and other work and shall exercise such other powers as may be prescribed.

13. Registrar.- (1) The Registrar shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers in the services of the State of Rajasthan.

(3) The Registrar shall be responsible for the custody of the records and the common seal of the University. He shall be ex-officio secretary of the Board of Management and Academic Council. He shall place before it all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall receive applications for entrance to the University and shall keep a permanent record of all syllabi, curricula and such other informations as may be deemed necessary.

(4) The Registrar shall perform such other duties as may be prescribed or required of him from time to time by the Vice-Chancellor.

14. Comptroller.- (1) The Comptroller shall be the principal finance, accounts and audit officer of the University. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Comptroller shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Accounts Service.

(3) The Comptroller shall -

- (i) advise in regard to the financial policy of the University and be responsible for the preparation of its budget and for the presentation thereof to the Board through the Vice-Chancellor;
- (ii) manage the properties, movable and immovable, and investments of the University;
- (iii) keep all moneys belonging to the University in a scheduled bank or in the Rajasthan State Co-operative Bank Ltd., or Central Co-operative Bank except the amounts needed as imprest cash (to be prescribed by the Vice-Chancellor) in transacting business of the University;
- (iv) ensure that no expenditure not authorized in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment;
- (v) disallow any expenditure which may contravene the terms of any statute or for which provision is required to be made by a statute but has not been made; and
- (vi) ensure the compliance of the provisions of section 34.

**15. Estate Officer and Dean of Student Welfare.-** (1) The Board may appoint any one or more of the following officers, namely:-

- (i) the Estate Officer, and
- (ii) the Dean of Students Welfare.

(2) The Estate Officer shall be incharge of all the buildings, lawns, gardens and other immovable property of the University.

(3) The Dean of Student Welfare shall have the following duties:-

- (a) to make arrangements of the housing of students.
- (b) to direct a programme of students counselling.

- (c) to arrange for employment of students in accordance with plans approved by the Vice-Chancellor.
- (d) to supervise the extra-curricular activities of the students.
- (e) to assist in the placement of the graduates of the University, and
- (f) to organize and maintain contact with the alumni of the University.

**16. Deans of faculties and their functions.-** (1) There shall be a Dean of each Faculty.

(2) The Deans of Faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in a manner as may be prescribed.

(3) The Deans shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes .

**17. Other officers and employees.-** The mode of appointment and the functions of other officers mentioned in clause (a) of section 9 and of the employees of the University shall be as provided in this Act or as prescribed by Statutes . Ordinances and Regulations.

**13. Remuneration of officers and employees.-** No officer or employee of the University shall be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University save as may be provided for in the Statutes.

**19. Constitution and composition of the Board of Management.-** (1) The Board of Management shall be the highest executive body of the University and shall consist of the following members, namely:-

- (I) The Vice-Chancellor of the University- Chairman.
- (II) Ex-officio Members :-
  - (i) the Secretary to the Government of Rajasthan, Finance Department;
  - (ii) the Secretary to the Government of Rajasthan, Higher Education Department;

- (iii) the Director of College Education, Rajasthan; and
- (iv) the Registrar of the University, Member-Secretary.

Explanation.- Ex-officio members mentioned at (i) to (ii) shall include their respective nominees who shall not be below the rank of Deputy Secretary to the Government of Rajasthan.

(III) Nominated Members :-

- (i) two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Deans for one year;
- (ii) two University Professors nominated by the Vice-Chancellor for one year;
- (iii) two eminent educationists to be nominated by the Chancellor for three years;
- (iv) two Principals of affiliated colleges, one from the Government colleges and another from Private Colleges, to be nominated by the State Government for one year;
- (v) two members of State Legislature to be nominated by the State Government for three years; and
- (vi) two eminent educationists to be nominated by the State Government for three years.

(IV) Elected Members:-

Two teachers of the University or its constituent colleges who have put in not less than seven years teaching experience in any institution of higher education in Rajasthan on 1st January immediately preceding the year in which elections are held, other than University Professors, Deans, Directors of the Colleges of the University to be elected by the teachers of the University and its constituent colleges from amongst themselves for three years.

(2) One third members present at a meeting of the Board shall constitute the quorum for meeting .

(3) The Chairman of the Board shall perform such functions and exercise such powers as are provided in this Act or as may be prescribed.

(4) The members shall serve without any additional pay but shall be entitled to daily allowance and travelling expenses as may be prescribed.

(5) The minutes of meeting of the Board shall be recorded and maintained by the Member Secretary of the Board.

**20. Duties and Functions of the Board.-** The duties and functions of the Board shall be as follows:-

- (a) to approve and sanction the budget of the University;
- (b) to acquire, to dispose of, to hold and to control the property and funds of the University and issue any general or special direction on behalf of the University;
- (c) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;
- (d) to administer any funds placed at the disposal of the University for the specific purposes;
- (e) to invest money belonging to the University;
- (f) to appoint the members of the academic, administrative and other staff of the University in such manner as may be prescribed;
- (g) to direct the form and use of the common seal of the University ;
- (h) to appoint such committees, either standing or temporary as it deems necessary for its proper functioning;
- (i) to borrow money for capital improvements and make suitable arrangements for its repayment;

- (j) to meet at such times and as often as it deems necessary, provided however, that the regular meeting of the Board shall be held at least once in every three months ;
- (k) to make Statutes, Ordinances and Regulations in the manner prescribed in this Act for smooth functioning of the University; and
- (l) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act and the Statutes and to exercise such powers and to discharge such duties as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

21. Academic council.- (1) There shall be an Academic Council of the University, consisting of the following as members, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor-ex officio Chairman;
- (b) Deans of Faculties;
- (c) one Professor from each faculty to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (d) one Principal/Director of a Constituent College to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (e) Secretary to the State Government in the Higher Education Department or his nominee not below the rank of a Deputy Secretary;
- (f) Director of College Education, Rajasthan;
- (g) Chairmen, Boards of Studies ;
- (h) two Principals of affiliated Colleges, one from Government Colleges and another, from Private Colleges, to be nominated by the State Government;
- (i) two persons having special attainment in the field of studies not being employees of the University, one to be nominated by the Chancellor and the other by the State Government;
- (j) one teacher other than the Professors, from a Constituent College/University Department having a minimum ten years experience in teaching degree



or post-graduate classes to be nominated by the Vice-Chancellor;

(k) one teacher other than the Principals, from an affiliated college having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the State Government and

(l) the Registrar of the University, Member Secretary.

(2) The term of office of nominated members shall be two years.

**22. Functions of the academic council.-** (1) The Academic Council shall be in-charge of the academic affairs of the University and shall, subject to the provisions of this Act and the Statutes and Ordinances made thereunder have control over, and be responsible for the maintenance of standards of instructions, education and examinations and for the requirements for the award of degrees and diplomas.

(2) The Academic Council shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes and shall advise the Vice-Chancellor on all academic matters.

**23. Composition and function of faculties.-** (1) There shall be such faculties in the University as may be prescribed by the Statutes.

(2) Each faculty shall consist of the following:-

(a) Dean of the Faculty - Chairman :

(b) University Professors of the subjects assigned to the Faculty ;

(c) Chairmen of the Boards of Studies in the faculty ;

(d) One Post - graduate College Principal and one Post-graduate Department Head in each subject of the faculty from affiliated colleges, nominated by the State Government ;

(e) Two external experts nominated by the Academic Council.

(3) Faculty shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes .

24. Board of studies.- (1) There shall be such number of Boards of Studies as may be determined by the Statute.

(2) A Board of Studies shall be constituted in the manner, consist of such members, exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

25. Teaching of the University.- (1) All teaching recognized by the University shall be conducted in the University departments or in colleges, institutes and institutions.

(2) The authorities responsible for organizing such teaching shall be such as may be prescribed.

(3) The courses of study and curricula shall be such as may be prescribed by Ordinances and, subject thereto, by the Regulations.

26. Conferment of autonomous status.- (1) An affiliated college or a recognized institution or a University Department may be conferred the autonomous status by the University in the matter of admission of students, prescribing the courses of studies, imparting instructions and training, holding of examinations and the powers to make necessary rules for the purpose.

(2) The Board shall for the purpose of satisfying itself about the standards of education in such a college, institution or department may direct an enquiry to be made in the prescribed manner by a standing committee consisting of such persons as are deemed fit.

(3) On receipt of the report of the said committee and the recommendations of the Academic Council thereon, the Board on being satisfied, shall refer the matter to the University Grants Commission and the State Government to obtain their concurrence.

(4) On receipt of such concurrence, the University shall confer the autonomous status on the College, the institution or the department, as the case may be.

(5) The status of autonomy may be granted initially for a period of five years subject to review by an expert committee to be constituted for this purpose. The committee shall comprise the following, namely:-

- (a) one nominee of the University;
- (b) one nominee of the State Government;
- (c) one nominee of the University Grants Commission;
- (d) one Principal of an autonomous college to be nominated by the Vice-Chancellor; and
- (e) an officer of the University to be nominated by the Vice-Chancellor.

(6) The Committee shall submit its report to the Board for further action.

(7) The University shall continue to exercise general supervision over such college, institution or department and to confer degree on the students of such college, institution or department.

(8) The autonomous college, institution or department shall appoint such committees as may be prescribed for the proper management relating to academic, financial and administrative affairs.

(9) Every autonomous college, institution or department shall furnish such reports, returns and other information as the Board may require from time to time.

(10) The Board shall cause every autonomous college, institution or department to be inspected from time to time.

27. **Withdrawal of autonomous status.-** (1) The conferment of autonomous status may be withdrawn by the University if the college, institution or department has failed to observe any of the conditions of its conferment or the efficiency thereof has so deteriorated that in the interest of education it is necessary to do so .

(2) Before an order under sub-section (1) is made, the Board shall, by one month's notice in writing, call upon the college, institution or department to show cause why such an order should not be made.

(3) On receipt of the explanation, if any, made by the college, institution or department in reply to the notice, the Board shall, after consulting the Academic Council and the University Grants Commission report the matter to the State Government.

(4) The State Government shall, after such further enquiry, if any, as may be deemed fit, record its opinion in the matter and convey its decision to the University and the University shall thereupon make such order as it deems fit.

(5) Where in the case of an autonomous college, institution or department, the autonomous status conferred under section 27 is withdrawn by an order made under sub-section (4), such college, institution or department, as the case may be, shall cease to have an autonomous status from the date specified in the order.

### 23. Supplementary provisions relating to membership.-

(1) All casual vacancies among the members (other than ex-officio members) of any authority or body of the University shall be filled as soon as possible by appointment, nomination or election according as the member whose place became vacant was appointed, nominated or elected and the person appointed, nominated or elected to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residuary period of the term for which the person whose place he fills would have continued but for the vacancy.

(2) A person who holds any office in the University by virtue of his holding any other office of the University or otherwise shall hold such office as long as he holds the other office and there after till his successor is duly nominated, appointed or elected.

(3) The Board may remove any person not being an officer of the University from membership of any authority or body or any employee of the University on the grounds that such person or employee has been convicted of an offence involving moral turpitude or for taking part in subversive activities or for indulging in any act or acts unbecoming the prestige of the University :

Provided that no such person or employee shall be removed under this sub-section unless he has been afforded a reasonable opportunity of showing cause why he should not be so removed and such cause has been considered by the Board :

Provided further that prior approval of the State Government will be necessary for taking such action against a member of any authority or body of the University, nominated by the State Government.

(4) If any question arises regarding any person who has been appointed, nominated or elected, as or is entitled to be, a member of any authority of the University subordinate to the Board or regarding any decision of the Board under this Act and the Statutes, the matter shall be referred to the Chancellor for his decision, and the decision of the Chancellor shall be final.

29. Proceedings of University authorities and bodies not to be invalidated by reason of any vacancy.- No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalidated by reason of the existence of a vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

30. Age of retirement.-Subject to any provision in the Statutes to the contrary or any directions or policy of the State Government in this regard all the employees of the University shall ordinarily retire from service upon attaining the age of sixty years.

31 . Pension or provident fund.- (1) For the benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees, the University shall constitute, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, such pension, gratuity, insurance and provident fund as it may deem fit.

(2) Provision shall be made in Statutes to ensure that staff members transferred from employment in the service of the State shall have their accrued service benefits protected upon such transfer.

32. Teachers and Officers of the University.- (1) The appointment of teachers and officers of the University shall be made in accordance with provisions of the Rajasthan Universities' Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

(2) Except in cases provided for by the Statutes, teachers and officers of the University shall be appointed under a written contract. The contract shall be lodged with the Vice-Chancellor and a copy thereof shall be furnished to the teacher or officer concerned. The contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes for the time being in force in relation to the conditions of service.

33. **University fund.**- (1) University shall establish, maintain and administer a fund to be called the University fund.

(2) The following moneys shall form part of, and be paid into, the University fund, namely:-

- (a) any contribution or grant by the State Government;
- (b) income arising to the University from all sources including income from fees and charges;
- (c) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;
- (d) such other moneys as may be prescribed by the Statutes.

(3) The matters to which the fund may be applied and appropriated shall be those prescribed by this Act or the Statutes.

(4) All expenses incurred under and in pursuance of any provision contained in this Act shall be met out of the University fund.

(5) The University shall have power to borrow, on the security of the University properties and with the concurrence of the State Government, money for the purposes of the University.

34. **Control of the State Government.**-Where the State Government funds are involved the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

- (a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;
- (b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
- (c) grant of any additional / special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including ex-gratia payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;

- 41 (52) राजस्थान राज-पत्र, जून 7, 2003 भाग 4 (क)
- (d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
  - (e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
  - (f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received;
  - (g) take any decision regarding affiliated colleges resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

**Explanation.-** The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may in long term likely to cause financial implications to the State Government.

**35. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.-** If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

**36. Statutes.-** Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter and shall, in particular, provide for the following:-

- (a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;
- (b) the appointment, nomination or election and continuance in office of the members of the authorities of the University and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;

- भाग 4 (क) राजस्थान राज-पत्र, जून 7, 2003 41 (53)
- (c) the designation, manner of appointment, powers, duties and service conditions of the officers of the University :
  - (d) the classification and manner of appointment of teachers and their service conditions and qualifications;
  - (e) the constitution of pension, gratuity, insurance and provident funds for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
  - (f) the conferment of honorary degrees;
  - (g) the establishment, amalgamation, sub-division and abolition of departments;
  - (h) the establishment and abolition of hostels maintained by the University;
  - (i) the moneys to form part of and to be paid into the University fund and the matters to which the fund may be applied and appropriated;
  - (j) the number and emoluments of teachers of the University and the preparation and maintenance of a record of their services and activities;
  - (k) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances to be paid to persons employed in the business of the University; and
  - (l) all other matters which by this Act are required to be or may be provided for or prescribed otherwise than by the Regulations.

37. Statutes how made.- (1) The Statutes may be made, amended or repealed by the Board of Management in the manner hereinafter provided.

(2) The Board of Management may take into consideration the draft of a Statute either at its own motion or on a proposal by any authority of the University.

(3) The Board of Management, if it thinks necessary, may also obtain the opinion of any officer, authority or body of the University in regard to any draft Statute, which is before it for consideration.



(4) Every Statute passed by the Board of Management shall be submitted to the Chancellor who may give or withhold his assent thereto or send it back to the Board of Management for reconsideration.

(5) No Statute passed by the Board of Management shall be valid or shall come into force until assented to by the Chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor, either *suo motu* or on the advice of the State Government, may, direct the University to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Board of Management fails to implement such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Board of Management for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

38. Ordinances.-Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely :-

- (a) the courses of study, admission or enrolment of students, fee, qualifications or conditions requisite for any degree, diploma, certificate or fellowship;
- (b) the conduct of examinations including the appointments of examiners and their terms and conditions;
- (c) the conditions for residing in any hostel or other place of residence run or maintained by the University, the levying of charges therefor and other related matters;
- (d) the recognition and supervision of hostels not run or maintained by the University;
- (e) any other matter required by this Act or the Statutes to be dealt by or under the Ordinances of the University.

39. Ordinances how made.- (1) The Board of Management may make, amend or repeal Ordinances in the manner hereinafter provided.

(2) No Ordinances concerning the academic matters shall be made by the Board of Management unless a draft thereof has been proposed by the Academic Council.

(3) The Board of Management shall not have the power to amend any draft proposed by the Academic Council under subsection (2), but may reject or return it to the Academic Council for reconsideration, in part or in whole, together with any amendments which the Board of Management may suggest.

(4) All Ordinances made by the Board of Management shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted to the Chancellor within two weeks. The Chancellor shall have the power to direct the Board of Management, within four weeks of the receipt of the Ordinance to suspend its operation, and he shall, as soon as possible, inform the Board of Management of his objection to it. He may, after receiving the comments of the Board of Management, either withdraw the order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance, and his decision shall be final.

40. Regulations.- (1) Every authority of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes and Ordinances -

- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;
- (b) providing for all matters which by this Act and the Statutes or Ordinances are to be provided for by that authority by the Regulations; and
- (c) providing for any other matter solely concerning such authority and not provided for by this Act and the Statutes or Ordinances .

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be transacted thereat and for the keeping of a record of the proceeding of meetings.

(3) The Board may direct the amendment, in such manner as it may specify, of any Regulations made under this section or the annulment thereof by any authority of the University.

41. Residence of students.- The students shall reside in accommodation provided by the University or approved by the Vice-Chancellor subject to the conditions prescribed.

42 . Delegation of powers.- The Board may by Statutes delegate to any officer or authority any of the powers conferred upon it by this Act , to be exercised subject to such restrictions and conditions as may be prescribed.

43. Annual report.- The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and circulated among the members of the Board one month before the annual meeting of the Board at which it is to be considered. The annual report, as approved by the Board, shall be sent to the Government for being laid on the table of the House of the State Legislature.

44. Accounts and audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) Such accounts shall be audited in the proscribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(3) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

45. Temporary arrangements.- (1) At any time after the passing of this Act and until such time as the authorities of the University are duly constituted any officer of the University may be appointed by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Chancellor to carry on the duties of any such authority.

(2) The Vice-Chancellor may make temporary appointments, subject to the approval of the Board at its next meeting, following the making of such appointments.

46. Reference to government officers to be construed in case of change of designation as reference to corresponding offices.- Where any provision of this Act or of the Statutes, Ordinances or Regulations refer to an officer of the State Government by designation, then, if that designation is altered or that office ceases to exist the reference shall be construed as a reference to the altered designation, or as the case may be, to such corresponding officer as the State Government may direct.

47. Transfer of properties and manpower.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the Chancellor may, in order to give effect to the provisions of this Act, on the advice of the State Government, make such orders as are deemed necessary, for the transfer of -

- (a) any officer, teacher, employee or servant,
- (b) any movable or immovable property situated in the jurisdictional area of this University or any rights or interest therein,
- (c) any fund, grant, contribution, donation, aid or benefaction received, accrued or promised,

from the Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer or any other University to this University on such terms and conditions as may be specified in the orders.

48. Transitory provisions.- (1) All Statutes, Ordinances and Regulations made under the Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987 (Act No.38 of 1987) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act and shall continue to be in force until they are superseded or modified by the Statutes, Ordinances or Regulations made under this Act.

(2) All notices and orders, made or issued by any authority under Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987 (Act No. 38 of 1987) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made or issued by the corresponding authority under this Act and shall continue to be in force until they are superseded or modified under this Act.

49. Residuary provisions.- The Board shall have the authority to deal with any matter pertaining to the University and not specifically dealt within this Act. The decision of the Board on

all such matters shall, subject to revision by the Chancellor, be final and shall not be liable to be challenged in any court or tribunal.

**50. Removal of difficulties.-** (1) The State Government may for the purpose of removing any difficulties, in the area and in matters covered by this Act, by order published in the Official Gazette-

- (a) direct that this Act shall during such period as may be specified in the order take effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission consistent with this Act, as it may deem fit to be necessary or expedient, or
- (b) give such directions as appear to it to be necessary for the removal of such difficulties that may arise in giving effect to the provisions of this Act,
- (c) make such other temporary provisions for the purpose of removing any such difficulties as it may deem fit to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of this Act.

(2) All orders made under sub-section (1) shall be laid before the House of the State Legislature for fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such orders or resolves that any such order should not be made, such order shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) If any question arises regarding the interpretation of provisions of this Act or any Statutes or Ordinances, Regulations made under this Act, or as to whether any person has been duly appointed or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall

भाग 4 (क) . राजस्थान राज-पत्र, जून 7, 2003

41 (59)

referred to the Chancellor and shall be so referred if the Vice-Chancellor and any ten members of the Board so require. The Chancellor shall after taking such advice from the State Government as he deems necessary, decide the question and his decision shall be final.

जी. एस. होज़

Secretary to the Government.

-----

Government Central Press, Jaipur.